

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 392 दिनांक 03/12/2020

मार्थजब 01 फौजदार राम चौधरी एवं 02 श्रीमती मंगी देवी चौधरी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय P.No = 22 सेक्टर बी जामला नहर

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश नगर प्रथम विस्तार

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 23666/- 5000

जरिये रसीद संख्या 7069/4132, 4133

दिनांक 03/12/2020 को जमा करा दी है ।

9/12/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

Sansodh

9/12/20

9413247650

जी+1  
आवासीय